आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–70 / 2023

28.02.2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा एवं अन्य, ग्राम–लोगांई, पंचायत–पड़रिया, प्रखण्ड–राजमहल, जिला–साहेबगंज दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज दूरभाष के माध्यम से उपस्थित।

इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–12.02.2024 को हुई थी। जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज ने आयोग को पत्रांक–121 दिनांक–10.02.2024 के माध्यम से यह बताया था कि परिवादी श्री उत्तम कुमार साहा, ग्राम–लोगांई, पंचायत–पड़रिया, प्रखण्ड–राजमहल, जिला–साहेबगंज एवं श्री गोविन्द हेम्ब्रम, जनवितरण प्रणाली विक्रेता के पुत्र श्री संतलाल हेम्ब्रम के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष बकाया खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने पर दोनों पक्षों के द्वारा सहमति प्रदान किया गया था। ऐसे में आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश दिया था कि सहमति के आलोक में शिकायतकर्ता एवं अन्य लोगों को राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में प्रस्तुत करें। आयोग के अभिलेख में इस आशय का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है।

आज शिकायतकर्ता ने दूरभाष पर यह बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समक्ष हुई बैठक के बाद डीलर ने सिर्फ एक माह का बकाया राशन उपलब्ध कराया है, जबकि उनसे कुल–03 बार अंगूठा लगवा लिया गया है।

ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे इस बात की जाँच करें कि राशन डीलर ने बिना राशन उपलब्ध कराये अंगूठा किस परिस्थिति में लगवाया ? साथ ही शिकायतकर्ता को बकाया 05 माह का राशन उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें। किसी भी वाद में दोनों पक्षों में समझौता करा देना खाद्य आयोग पर्याप्त नहीं मानता। खाद्य आयोग का उद्देश्य लाभुक को हर हाल में निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के प्रावधानों के अनुकूल शिकायतकर्ता को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करें, अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा–20 की उपधारा–02 के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।